

1128.  
19/3/13  
को.सु.  
को.सु.  
19/3

FCR  
की वरत  
4/2/17



भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय [मध्य क्षेत्र]

27

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,  
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
टेलीफैक्स-2326696

पत्र सं० 8बी/243/04/11/2012/एफ.सी.

दिनांक: 08.03.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव [वन],  
सिविल सचिवालय,  
राजस्थान शासन जयपुर।

विषय: जनपद उदयपुर में 200 के०वी०डी/सी लिलो मादडी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक-एफ 14 ( ) 2011/वसु/प्रनुवसं/1050, दिनांक-15.02.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक प०1(24)वन/2012, दिनांक 28.05.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 03.12.2012 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने के निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद उदयपुर में 200 के०वी०डी/सी लिलो मादडी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन जिसमें 176 वृक्ष जो संरक्षण में आ रहे हैं, के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.10 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी०ए०-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

- 28
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमेंट ऐरिया ट्रीटमेंट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
  8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
  9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
  10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारंभिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)  
मुख्य वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता (सी एण्ड एम, टी0सी0सी0-7), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, पुराना पॉवर हाऊस, उदयपुर, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली।

(वाई0 के0 सिंह चौहान)  
मुख्य वन संरक्षक(के.)



भारत सरकार  
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

Dealt at  
10/c

53

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,  
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
टेलीफैक्स-2326696

पत्र सं० 8 बी/राज०/04/11/2012/एफ.सी. 1692

दिनांक: 23.07.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},  
सिविल सचिवालय,  
राजस्थान शासन जयपुर ।

**विषय:** जनपद उदयपुर में 200 के०वी०डी/सी लिलो मादडी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।

**सन्दर्भ:** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक-एफ 14 ( )2011/वसु/प्रमुवसं/6030, दिनांक-05.07.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक प०1(24)वन/2012, दिनांक 28.05.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद उदयपुर में 200 के०वी०डी/सी लिलो मादडी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 176 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.10 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 2.10 हे० गैर वन भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे छोटे पौधों (विशेषकर औषधीय पौधे) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।
5. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी हैंडबुक के Annexure V में दिये गये दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

फै 8/8 3096/  
21/8 218/13

5

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
15. Environment clearance under aravali notification should be obtained, if applicable and copy furnished to this office.
16. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान।
3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता (सी एण्ड एम, टी0सी0सी0-7), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, पुराना पॉवर हाऊस, उदयपुर, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली।

3096/218/13

(प्राची गंगवार)

उप वन संरक्षक {केन्द्रीय}

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF FORESTS

125  
17/1/14  
No.F.1(29) Forest/2012

Jaipur, dated: 16 JAN 2014

**ORDER**

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./04/27/2012/F.C./692 dated 23.07.2013 for the project proponent (C & M-Tec VII ) Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Ltd., Udaipur for diversion of 2.10 ha. forest area for the purpose of construction of 22 KV D/C LILO Madri Electric line. The State Government hereby accords sanction under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

- C
1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 23.07.2013 will be complied by all concerned.
  2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to Stage - I and Stage - II clearances are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
  3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
  4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.  
Any other condition as and when imposed by the State Government.
- 16/1/14  
21-1-14

sd  
(C.S. Ratnasamy)  
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, Udaipur, (North).
9. Project Proponent Executive Engineer (C&M-TCC VII) Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Ltd., Udaipur.

Secretary, Forests